FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द ,जिला भीलवाडा

काना **बनाम** सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 धारा 151 जा.दी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2021	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित है । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश -9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि एक प्रकरण आप न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88-89-92 A-188 RTA मे विचाराधीन होकर प्रकरण संख्या 386/2012 में सुनवाई हेतु दिनांक 29.08.2019 नियत थी । उक्त दिनांक को प्रार्थी / अधिवक्ता अन्य कोई आवश्यक कार्य होने से न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाये इस बिनाय पर उक्त अनवान के वाद पत्र को अदम हाजरी /अदम पैरवी में आप न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था । उक्त प्रकरण को न्यायहित में पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किया जाना उचित होकर न्यायहित में है । अन्यथा वादी न्याय से महरूम हो जावेगा । अतः प्रार्थी / अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अनवान की पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जावें । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर क्रमांक 7/20 पर किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षी को तलब किया गया । सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी । वक्त बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मूल वाद को पुनः [illegible] पर लिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है । विपक्षी राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित न्यायालय हुये । पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कोई आपत्ति नहीं की है । वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश करने तथा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पैरोकार सरकार की कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.का स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद प्रकरण संख्या 386/12 को तलब कर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें । पत्रावली मूल फाइल के साथ संलग्न की जावें । निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया । (सी.एल.शर्मा) सहायक कलक्टर(S.D.O.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:24 IST
Reason: SelfAttested